

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कनवास  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सीमाभिया

**आदेश**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी सीमाभिया

व भू.अ.नि. कनवास की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कनवास

/नायब तहसीलदार TA धारा 88, 89 व की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सीमाभिया तहसील कनवास व

जिला मेरठ की जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 में खाता संख्या 35, 36

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है )
1	सीमाभिया	35, 36	" देव लाल " शेष बट्टरू	" नेवा लाल " शेष बट्टरू

1225-26

कनवास  
पीठासीन अधिकारी  
कनवास लोक अदालत (राज०)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 27/1/16

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नेवा लाल पुत्र मैख लाल को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

कनवास  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कनवास लोक अदालत (राज०)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर